District & Addl. Sessions Judge I-Cum-Spl. Judge SC/ST Act, Jamui

SC/ST Case no. 99 of 2021

(Jamui Sc/St P.S. Case No.- 45/2020)

Date of Judgement : -23-06-2026

State of Bihar through informant Sunita Devi Vs. Bharat Thakur & others

बिहार राज्य द्वारा सूचिका सुनिता देवी

बनाम

1. **रूकमणि देवी,** उम्र 64 वर्ष, पति–स्व0 भरत ठाकुर,
2. **बिंदू कुमारी उर्फ बिंदू देवी,** उम्र 25 वर्ष, पिता–स्व0 भरत ठाकुर,

निवासी ग्राम–गरही करिया टोला, थाना–गरही, जिला–जमुई।

आरोप भा0द0वि0 की धारा 323, 341 सभी सपठित धारा 34 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम की धारा 3(i)(r)(s) के अंतर्गत,

अभियोजन पक्ष की ओर से– **श्री मनोज कुमार दास, विद्वान विशेष लोक अभियोजक,**

बचाव पक्ष की ओर से– **श्री कुमार शशि शेखर सिंह, विद्वान अधिवक्ता,**

दिनांक :–23.06.2026

निर्णय

1. कांड की सूचिका के द्वारा थानाध्यक्ष, जमुई एस0सी0 / एस0टी0 थाना को दिये गये लिखित आवेदन के आधार पर जमुई एस0सी0 / एस0टी0 थाना में यह कांड प्राथमिकी संख्या–45 / 2020 के रूप में भा0द0वि0 की धारा 341, 323, 354, 504 सभी सपठित धारा 34 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम की धारा 3(i)(r)(s) के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए यह कांड दर्ज हुआ तथा अनुसंधान उपरान्त अनुसंधानकर्ता ने प्राथमिकी के अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या–04 / 2021, भा0द0वि 341, 323, 354, 504 सपठित धारा 34 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम की धारा 3(i)(r)(s) के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए आवेदक अभियुक्त भरत ठाकुर, रूकमणी देवी एवं बिंदु देवी के विरूद्ध समर्पित किया। परिणामस्वरूप कांड दैनिकी में उपलब्ध सामग्री के आधार पर इस मामले में उपरोक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोक्त अपराध के करने के लिये संज्ञान लिया गया।

2. कांड की सूचिका सुनीता देवी पति स्व0 रूपन रविदास द्वारा थानाध्यक्ष, थाना जमुई एस0सी0 / एस0टी0 को दिये गये लिखित आवेदन के अनुसार अभियोजन कथानक साररूप से इस प्रकार है कि दिनांक–08.08.2020 समय करीब 4 बजे शाम में सरकारी चापाकल पर पानी भर रही थी तो भरत ठाकुर, **रूकमिनी देवी एवं बिन्दु देवी ने उसे चमैइन हरामजादी, हरिजन कहकर गाली गलौज किया** तथा कहा कि चापाकल से पानी नहीं लेने देंगे। ''तुम चमैन हो चापाकल छू ने से पानी छुआ जाता है।'' भरत ठाकुर झोंटा पकड़कर जमीन पर पटक दिया। **रूकमिनी देवी एवं बिंदु देवी लात मुक्का से मारने लगी।** बहुत सारे लोग दौड़े तो

उसकी जान बची। उसे चमैन जानकर चापकल से पानी भरने नहीं देते हैं।

3. उपरोक्त नामित अभियुक्तगण के विरूद्ध इस न्यायालय द्वारा दिनांक 19.07.2022 को भा0द0वि0 की धारा 341, 323 सपठित धारा 34 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम की धारा 3(i)(r)(s) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के करने के लिये आरोप का गठन कर आरोप को पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया, जिससे उसने इंकार किया एवं विचारण की माँग की। उल्लेखनीय है कि इस मामले में तीन व्यक्तियों के विरूद्ध पुलिस ने आरोप पत्र (Charge Sheet) समर्पित की तथा तदनुसार मामले में तीन अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र में वर्णित अपराध के लिये संज्ञान लिया गया तथा दिनांक–19.07.2022 को तीनो अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप गठन किया गया **किंतु तीसरे अभियुक्त भरत ठाकुर जिस पर अतिरिक्त रूप से भा0द0वि0 की धारा 354 का आरोप था, कि मृत्यु हो जाने के कारण उसके विरूद्ध इस मामले में कार्यवाही समाप्त की जाती है।** अतः अब इस मामले में सिर्फ रूकमिनी देवी एवं बिन्दु कुमारी उर्फ बिन्दु देवी को भा0द0वि0 की धारा 323 एवं 341 दोनों सपठित धारा 34 तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम की धारा 3(1)(r)(s) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के लिये विचारण हुआ।

4. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपने मामले को साबित करने के लिए कुल 5 साक्षियों का साक्ष्य करवाया गया है। अभियोजन साक्षी संख्या 1. जीतन देवी, 2. पुना ठाकुर, 3. सुनीता देवी (सूचिका), 4. राम वृक्ष रविदास, 5. साधु मिश्रा है।

5. दं.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत लेखबद्ध अभिकथन (Statement) में अभियुक्तों ने घटना से इंकार किया है एवं स्वयं को निर्दोष होना कहा है।

6. इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से अपने बचाव में कुल 2 बचाव साक्षियों का साक्ष्य करवाया है। बचाव साक्षी संख्या 1. हीरा ठाकुर, एवं 2. ओम प्रकाश ठाकुर है।

मंतव्य (Findings)

7. **अभियोजन साक्षी संख्या 1 जीतनी देवी** ने अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा (Examination-in-chief) में कथन किया है कि यह घटना दो साल पहले 4 बजे शाम की

है। उस समय वह सरकारी चापाकल के पास थी। सुनीता देवी पानी भरने के लिए गयी थी। उधर से भरत ठाकुर आया और सुनीता देवी का झोंटा पकड़कर जमीन पर पटक दिया। **रूकमिणी देवी और बिन्दु देवी मारपीट करने लगे।** हरामजादी शाली पासी छुआ जायेगा की गाली दिया। पानी भरने नहीं दिया और बोला कि तसला छुआ जायेगा, मारपीट हुआ और सारा आदमी जुट गया। सरकारी चापाकल करिया टोला में रोड के पास है। उसने जिसका जिसका नाम लिया है, उसे पहचानती है। **प्रति परीक्षा (Cross Examination)** में साक्षी ने कथन किया है कि सुनीता देवी उसके बगल की है। सुनीता देवी के पति का नाम रूपण रविदास है। आज उसे कोर्ट से नोटिस मिली थी इस आधार पर वह गवाही देने आयी है। **पैरा–5 में साक्षी ने कथन किया है कि भरत ठाकुर की बेटी बिन्दु देवी ने दिनांक–18.12.2017 की घटना को लेकर उसके एवं उसके पति तथा अन्य लोगों के विरूद्ध केस किया था।** उस केस का केस नंबर उसे मालूम नहीं है। पैरा–6 में साक्षी कथन किया है कि **इस केस में दरोगा जी ने उसका बयान दर्ज किया था तथा उसने अपने बयान में रूकमिणी देवी एवं बिन्दु देवी का नाम बतायी थी। ऐसी बात नहीं है कि उसने रूकमिणी देवी और बिन्दु देवी का नाम नहीं बताया था।** पैरा–7 साक्षी ने कथन किया है कि चापाकल के अगल बगल पूना ठाकुर, बच्चु ठाकुर का घर है। उसके घर से चापाकल की दूरी 70–80 फीट है। उसके घर के पास और किसी का घर नहीं है। भरत ठाकुर का घर चापाकल से ठीक सटे है। पैरा–8 में साक्षी ने कथन किया है कि पानी को लेकर ही दोनों में झगड़ा हुआ था। झगड़ा का वजह यह है कि पानी नहीं लो, पानी मेरा छुआ जायेगा। **पैरा–9 में साक्षी ने कथन किया है कि झगड़ा को देखकर बहुत सारे लोग वहां आये लेकिन वह उनका नाम नहीं जानती है।** पैरा–10 में साक्षी ने कथन किया है कि ऐसी बात नहीं है कि इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई थी। ऐसी बात भी नहीं है कि बिन्दु देवी ने उस पर एवं उसके परिवार के सदस्यों पर केस किया है उसी रंजिश में ये केस (Case) किया गया है।

8. **अभियोजन साक्षी संख्या 2 पुना ठाकुर** ने अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा (Examination-in-chief) में कथन किया है कि यह घटना दो साल पहले समय 4 बजे शाम की है। वह चापाकल के बगल में था। चापाकल सरकारी जमीन पर घर के आगे बगल में है। सुनीता देवी चापाकल से पानी लाने गयी थी। भरत ठाकुर, रूकमिणी देवी और बिन्दु देवी तीनों गाली देते हुए आये और बोले कि हरामजादी शाली चमैन पानी लेने आई है। छुत–जात पानी छुआ जाता है। सुनीता देवी को भरत ठाकुर, रूकमिणी देवी और बिन्दु देवी झोंटा पकड़

कर जमीन पर बजाड़ दिया तथा तीनों मिलकर मारपीट करने लगे। वहां बहुत आदमी आये और बीच बचाव किया। पुलिस ने उससे पूछताछ किया था। वह सभी अभियुक्तों को पहचानता है। **प्रति परीक्षा (Cross Examination)** में साक्षी ने कथन किया है कि सुनीता देवी ने बताया कि गवाही में उसका नाम दिया है। उसे गवाही देने जाना है, फिर वह वकील साहब से मिला लेकिन वकील साहब ने उसे कुछ नहीं समझाया बुझाया। पैरा–5 में साक्षी ने कथन किया है कि 4–5 दिन पहले न्यायालय में आया तो गवाही की तारीख पता चली। उसी तारीख के आधार पर वह आज गवाही देने आया है। पैरा–6 में साक्षी ने कथन किया है कि उस पर वन विभाग का पांच मुकदमा था। पांचों केस खत्म हो गया है। पैरा–7 में साक्षी ने कथन किया है कि **भरत ठाकुर की पुत्री बिन्दु देवी ने उसके ऊपर पकड़ धक्कड़, मारपीट का केस किया था। उसने दो साल पहले केस किया था। वह केस अब खत्म हो गया है।** पैरा–8 में साक्षी ने कथन किया है कि बिन्दु देवी के द्वारा, जो केस किया गया उसमें उसकी पत्नी का नाम नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि बिन्दु देवी 20.12.2017 की घटना को लेकर उसके (इस साक्षी) एवं उसकी पत्नी (इस साक्षी की पत्नी) तथा इस केस की वादिनी सुनीता देवी वगैरह के विरूद्ध एक मुकदमा किया है, जो खैरा थाना कांड संख्या 404/2017 है। भरत ठाकुर से उसकी दुश्मनी खत्म हो गयी है। पैरा–9 में साक्षी ने कथन किया है कि चापाकल रोड के किनारे है। चापाकल के पूरब बच्चू ठाकुर का घर है, पश्चिम में उसका घर है, उत्तर में भरत ठाकुर का घर है तथा दक्षिण में रोड है। आस पास रामवृक्ष, टूना रविदास का घर है तथा बगल में राजकुमार यादव का घर है। सब परिवार में दो चार पांच आदमी रहते हैं। पैरा–10 में साक्षी ने कथन किया है कि घटनास्थल के बगल में ही उसका घर है। घटनास्थल पर और भी आदमी थे। वहां पर रामवृक्ष, टूना रविदास, तथा चार पांच आदमी थे। घटनास्थल पर ढेर आदमी पहुंच गये थे, औरत, मर्द, बच्चे भी पहुंच गये थे। पैरा–11 में साक्षी ने कथन किया है कि ऐसी बात नहीं है कि जिस तरह की घटना के बारे में उसने बोला उस तरह की कोई घटना नहीं घटी। ऐसी बात नहीं है कि जमीन संबंधित विवाद को लेकर झूठा केस किया गया है। ऐसी बात नहीं है कि सुनीता देवी ने उस पर, रामवृक्ष व उसकी पत्नी पर केस किया है उसी रंजिश में आकर उसने आज झूठी गवाही दी है। पैरा–12 में साक्षी ने कथन किया है कि भरत ठाकुर उसका बगलगीर है, उस नाते अभियुक्त को पहचानता है।

9. **अभियोजन साक्षी संख्या 3 सुनीता देवी** ने अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा (Examination-in-chief) में कथन किया है कि यह घटना दो साल पहले समय 4 बजे शाम की है। वह उस समय चापाकल पर थी। चापाकल सरकारी जमीन में रोड के पास है। वह

चापाकल से पानी भरने गयी तो भरत ठाकुर उसे बोला कि ''शाली चमैन छूत जात तुमको पानी भरने नहीं देंगे, उसके छुने से उसका पानी छुआ जाएगा।'' जब उसने भरत ठाकुर को गाली देने से मना किया तो उसने उसका झोंटा पकड़ चापाकल के सामने पटक दिया। **रूकमिणी देवी और बिंदु देवी आयी और उन दोनों ने उसे लात मुक्का से मारने लगे और उसका बाल पकड़कर खींचने लगी।** घटनास्थल पर करीब 10–15 आदमी थे, उन लोगों ने उसे बचाया और अभियुक्तों ने उन लोगों के समक्ष जाति सूचक गाली देकर मारपीट किया। वहां खड़े लोगों में जितनी देवी, पूना ठाकुर तथा कई महिला एवं पुरूष थे। थाना पर उसने एक व्यक्ति से लिखवाकर यह लिखित आवेदन थाना पर दिया था। इस आवेदन पर उसका हस्ताक्षर है, इसे पहचानती है, इसे प्रदर्श P-1/P.W.3 अंकित किया जाता है। अभियुक्तों को पहचानती है। आज वह अपने पति के साथ जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति लेकर आयी है, जिसका प्रमाण पत्र संख्या TC/17/01332 दिनांक–27.05.2017 है, जो कि अंचल पदाधिकारी खैरा के द्वारा निर्गत किया गया है और इस जाति प्रमाण पत्र के अनुसार पीड़िता या सूचक चमार जाति की है। जाति प्रमाम पत्र की फोटोकॉपी को मूल कॉपी से मिलान किया गया, जिसे प्रदर्श P-2/P.W.3 अंकित किया गया तथा जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति गवाह को वापस किया। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने उसका बयान दर्ज किया था। **प्रति परीक्षा (Cross Examination)** के दौरान पैरा 6 में साक्षी ने कथन किया है कि उसका घर गरही है, जो चन्नवरा हड़खार पंचायत में पड़ता है, जहां का मुखिया मुन्ना साह है। उसके पंचायत के मुखिया का नाम कलीम है। उसका गांव गरही तीन टोले का है। उसके गांव में नाई, यादव तथा बगल में मुस्लिम आबादी है। पैरा–7 में कथन किया है कि चापाकल सरकारी जमीन पर है उसका खाता खेसरा उसे नहीं मालूम है। चापाकल के पश्चिम में रोड है, पूरब में टुना रविदास का घर है, उत्तर में पुना ठाकुर का घर है और दक्षिण में भरत ठाकुर का घर है। पैरा–8 में कथन किया है कि भरत ठाकुर को छोड़कर बाकी लोगों से उसकी कोई दुश्मनी नहीं है। भरत ठाकुर से उसे कोई दुश्मनी नहीं है, उसने उसे चमैन आदि लगाकर गाली दिया था इस बात का उसे दुख है। पैरा–9 में कथन किया है कि बिंदु कुमारी, भरत ठाकुर की बेटी है। पैरा–10 में कथन किया है कि इस घटना से पूर्व उसकी बेटी बिंदु देवी ने उन लोगों पर केस किया था, जिसे उसने उठा लिया है। बिंदु देवी ने जो केस किया था वह अब समाप्त हो गया है। ऐसी बात नहीं है कि वह केस अभी तक चल रहा है और उसका नम्बर खैरा थाना कांड सं0–404/2017 है। पैरा–11 में कथन किया है कि घटना वाले दिन **वह पानी लेने अकेले गई थी। जिस समय वह चापाकल पर पानी लेने गयी थी उस समय वह अकेली थी और वहां पर कोई नहीं था।** पैरा–12 में कथन किया है कि चापाकल के आस–पास पन्द्रह परिवार रहते हैं।

पैरा–13 में कथन किया है कि यह विवाद पानी भरने के लिए हुआ था। उसने उसे जाति सूचक गाली दिया था और कहा कि उसके छुने से पानी छुआ जाता है। पैरा–14 में कथन किया है कि जिस चापाकल पर झगड़ा हुआ था वह चापाकल घटना से कितने दिन पहले बना था, उसे याद नहीं है किंतु घटना से करीब 5–6 महीना पहले चापाकल लगा था। पैरा–15 में कथन किया है कि घटना के एक दो माह पहले से उस चापाकल से पानी भर रही थी। अगल बगल के लोग भी उस चापाकल से पानी लेने आते थे। पैरा–16 में कथन किया है कि **इस घटना से पहले भी अभियुक्तों से उसका विवाद हुआ था और पहले भी उसे गाली दिया था। पहले कब कब विवाद हुआ था उसका दिन, तारीख, महीना, साल याद नहीं है। पहले जो भी विवाद हुआ था किंतु उसका कोई केस दर्ज नहीं किया था।** पैरा–17 में कथन किया है कि **बिंदु कुमारी के केस करने से पहले उसने कोई केस नहीं किया था।** पैरा–18 से 22 में कथन किया है कि घटना वाले दिन चापाकल पर करीब 10–20 मिनट विवाद चला। झगड़ा/विवाद के बाद भी अभियुक्त चापाकल के पास ही रहा। विवाद खत्म होने के बाद कोई शोरगुल हल्ला, विवाद नहीं हुआ था। विवाद खत्म होने के बाद अगल बगल के लोग वहां जमा हुए थे, उन लोगों का नाम उसे याद नहीं है। इस घटना की शिकायत उसने मुखिया सरपंच को नहीं दिया था। अब थाना गरही में बन गया है। घटना के समय वहां थाना नहीं था। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि गरही में पुलिस कैम्प था या नहीं। ऐसी बात नहीं है कि इस तरह की कोई घटना नहीं घटी थी। ऐसी बात नहीं है कि उन लोगों ने मारपीट किया और बिंदु देवी द्वारा केस उठाने के लिए दबाव डालने के लिए यह केस उसने उन लोगों पर किया है। ऐसी बात नहीं है कि उसने झूठी गवाही दी है।

10. अभियोजन साक्षी संख्या 4 राम वृक्ष रविदास (सूचिका सुनीता देवी का पिता) ने अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा (Examination-in-chief) में कथन किया है कि यह घटना दो साल पहले समय 4 बजे शाम की है। वह उस समय चापाकल के बगल में था। चापाकल गरही चनवर में है। चापाकल सरकारी है और जमीन भी सरकारी है। सुनीता देवी उसी सरकारी चापाकल पर पानी भरने गयी थी। सुनीता देवी उसकी बेटी है। सुनीता देवी के पति जीवित नहीं है। तभी भरत ठाकुर, बिन्दु देवी और रूकमिणी देवी आयी और कहा कि ''साली चमैइन पहले हमको पानी भरने दो नहीं तो पानी छुआ जाएगा और भरत ठाकुर आगे बढ़कर उसकी बेटी का हाथ पकड़ लिया एवं बजाड़ दिया। दोनो मां–बेटी के साथ मारपीट शुरू कर दिया। वह अभियुक्तों को पहचानता है। **प्रति परीक्षा (Cross Examination)** में साक्षी ने कथन किया है कि गरही चननवर बहुत बड़ा गांव है। गरही चननवर 13–14 टोला में बसा है और

बीच में करिया टोला है। करिया टोला में 10 घर है। वहां सभी जाति के लोग हैं। उसमें पूना ठाकुर, टुनटुन रविदास, हुरो यादव, जलधर महतो का घर है। इन्हीं लोगों के घर के बीच में चापाकल है। वहां तीन साल से चापाकल है और दो साल से झगड़ा हो रहा है। पैरा–4 में कथन किया है कि **पानी पहले हम लेंगे–पानी पहले हम लेंगे, इसी बात का झगड़ा है और किसी बात का झगड़ा नहीं है।** सुनीता देवी मेरी बेटी है। सुनीता देवी का ससुराल उसके घर के नजदीक है। जमीन पर पटकने के बाद सुनीता देवी का माथा नहीं फूटा और ना ही कोई चोट लगी। ऐसी बात नहीं है कि सुनीता देवी उसकी बेटी है इसलिए उसने झूठी गवाही दिया है।

11. **अभियोजन साक्षी संख्या 5 साधु मिश्रा** ने अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा (Examination-in-chief) में कथन किया है कि वह दिनांक–09.08.2020 को जमुई एस0सी0/एस0टी0 थाना में स0अ0नि0 के पद पर पदस्थापित था। उक्त तिथि को उसे जमुई एस0सी0/एस0टी0 थाना कांड सं0–45/2020 के अनुसंधान का भार मिला। अनुसंधान ग्रहण करने के उसने प्राथमिकी को वाद दैनिकी में अंकित किया तथा वादिनी का पुनः बयान लिया। उसके बाद गरही के के लिए प्रस्थान किया। उसके बाद उसने साक्षी पुना ठाकुर, रामवृक्ष दास, चंपा देवी, जीतनी देवी का बयान कांड दैनिकी में अंकित किया। सभी ने अभियोजन केस का समर्थन किया। वादिनी एवं साक्षियों के बताये अनुसार इस कांड का घटनास्थल का निरीक्षण किया। इस कांड का घटनास्थल खैरा थाना अंतर्गत ग्राम गरही करियाटोला स्थित सरकारी चापाकल है, जो वादिनी के घर के सटे पश्चिम स्थित है। यहीं पर प्राथमिकी अभियुक्तों के द्वारा वादिनी के साथ जाति सूचक गाली गलौज एवं मारपीट करने की बात बतायी जाती है। घटनास्थल के पूरब में सुनीता देवी का मिट्टी का खपरैल मकान स्थित है, पश्चिम में गरही डैम जाने वाला रास्ता एवं सरकारी चापाकल का चबुतरा स्थित है, उत्तर में पुना ठाकुर का मिट्टी का खपरैल मकान स्थित है तथा दक्षिण में ग्रामीण कच्ची सड़क बाद काटन यादव का पत्थर का चारदिवारी स्थित है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी का पर्यवेक्षण टिप्पणी प्राप्त कर कांड दैनिकी में अंकित किया। पुलिस अधीक्षक महोदय का प्रतिवेदन 2 प्राप्त कर कांड दैनिकी में अंकित किया। अब तक के अनुसंधान, घटनास्थल का निरीक्षण, वादी एवं गवाहों का बयान, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जमुई का पर्यवेक्षण टिप्पणी एवं अंतिम प्रगति प्रतिवेदन एवं पुलिस अधीक्षक जमुई का प्रतिवेदन–3 सह अंतिम आदेश के अनुसार उसने धारा 341, 323, 354, 504 सभी सपठित धारा 34 भा0द0वि0 एवं 3(i)(r)(s) एस0सी0/एस0टी0 के अंतर्गत प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त भरत ठाकुर, रूकमिणी देवी, बिन्दु देवी के विरूद्ध आरोप

पत्र सं0–04/2021 दिनांक–28.01.2021 समर्पित किया। यह आरोप पत्र उसके लिखावट एवं हस्ताक्षर में है, इसे साक्षी के पहचान पर प्रदर्श P-3/P.W.5 अंकित किया। औपचारिक प्राथमिकी थानाध्यक्ष राजेश कुमार के लिखावट व हस्ताक्षर में है। इसे साक्षी के पहचान पर प्रदर्श P-4/P.W.5 अंकित किया। फर्द बयान/लिखित आवेदन पर पृष्ठांकन थानाध्यक्ष राजेश कुमार के लिखावट व हस्ताक्षर में है, इसे साक्षी के पहचान पर प्रदर्श P-5/P.W. 5 अंकित किया। **प्रति परीक्षा (Cross Examination)** के पैरा 9 में साक्षी का कथन है कि उसने दिनांक–05.01. 2019 को जमुई एस0सी0/एस0टी0 थाना जमुई में योगदान दिया था। वह घटनास्थल पर गया था। पैरा–10 में कथन किया है कि उसने घटनास्थल पर पूना, रामवृक्ष, चंपा देवी और एक अन्य व्यक्ति का बयान दर्ज किया था। **उसने एक ही दिन सभी का बयान लिया था और किसी स्वतंत्र साक्षी का बयान अंकित नहीं किया है, वहां पर तीन चार घर ही था। गांव में लोगों का घर है उनका बयान उसने दर्ज नहीं किया। मुखिया सरपंच से उसने पूछताछ किया था तो इन लोगों ने घटना की पुष्टि किया था लेकिन इनका बयान दर्ज नहीं किया था।** ऐसी बात नहीं है कि उसने किसी गवाह का बयान नहीं लिया था। ऐसा भी नहीं है कि उसने मुदई के मेल में आकर सारी कार्रवाई टेबुल पर किया है। ऐसी बात नहीं है कि उसने वरीय पदाधिकारी के दबाव में आकर गलत आरोप पत्र समर्पित किया है।

12. **बचाव साक्षी संख्या 1 सोनी देवी** ने अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा (Examination-in-chief) में कथन किया है कि सूचिका सुनिता देवी को वह जानती है। उसके साथ कोई घटना नहीं घटी थी। भरत ठाकुर, रूकमिणी देवी एवं बिंदु देवी ने किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं किया था। कभी कोई विवाद नहीं हुआ था। घोरन को लेकर विवाद है। **प्रति परीक्षा (Cross Examination)** में साक्षी का कथन है कि सुनीता देवी का घर उसके घर के पास है। जमीन को घेरने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। आज वह रूकमिणी देवी के साथ गवाही देने आयी है। उसे न्यायालय से कोई नोटिस नहीं प्राप्त हुआ।

13. **बचाव साक्षी संख्या 2 ओम प्रकाश ठाकुर** ने अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा (Examination-in-chief) में कथन किया है कि सुनीता देवी और भरत ठाकुर, रूकमिणी देवी उसके बगल के हैं। दोनों के मध्य घरबाड़ी, टांड–टिकुर जमीन का विवाद है। दोनों के बीच कभी कोई झगड़ा नहीं हुई। इसी जमीन के लिए उसने केस किया है। बिन्दु देवी ससुराल में रहती है। **भरत ठाकुर की मृत्यु हो गयी है।**

14. अब इस मामले में अवधारण हेतु प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष इस मामले में उपरोक्त नामित अभियुक्त के विरूद्ध लगे भा0द0वि0 की धारा 323, 341 सपठित धारा 34 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम की धारा 3(i)(r)(s) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध करने के आरोप को सभी युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है ?

15. विद्वान विशेष लोक अभियोजक के अनुसार अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध इस मामले में लगे आरोप को सभी युक्ति युक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है। अतः दोनों अभियुक्तगण अपने विरूद्ध लगे आरोप के लिए दोषसिद्ध है।

16. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि इस मामले में प्रमुख अभियुक्त भरत ठाकुर का देहांत हो चुका है। इस मामले में भरत ठाकुर की पत्नी एवं बेटी का विचारण हो रहा है। जिन पर कोई विशिष्ट अभियोग नहीं है तथा मामले में स्वतंत्र साक्षी नहीं है। साक्षियों के साक्ष्य में गंभीर विरोधाभाष है। अतः इन दोनों महिला अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोजन पक्ष लगाये गये आरोप को सभी युक्ति युक्त संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है।

17. मैंने उभय पक्षों की पूर्ण बहस सुनी एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियोजन साक्षी सं0–1 जीतनी देवी ने अपने साक्ष्य के पैरा 15 में स्वीकार किया है कि बिन्दु देवी ने उसके एवं अन्य के विरूद्ध केश (case) किया था। स्पष्ट है कि अभियोजन साक्षी संख्या 1 से अभियुक्तो की पूर्व से शत्रुता स्वीकृत है। अतः इस साक्षी का साक्ष्य अत्यन्त सावधानी के साथ अनुशीलन किये जाने योग्य है। पैरा 9 में साक्षी ने कथन किया है कि झगड़ा को देखकर बहुत सारे लोग आये लेकिन वह उनका नाम नही जानती है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि पुलिस बयान में इस साक्षी ने रूकमणी देवी एवं बिन्दु देवी का नाम नहीं लिया था, अभियुक्तगण इसका लाभ पाने के अधिकारी है। इसी प्रकार से अभियोजन साक्षी संख्या 2 पूना ठाकुर ने प्रतिपरीक्षा के दौरान पैरा 7 में कथन किया है कि बिन्दु देवी (अभियुक्त) ने उसके ऊपर पकड़–धकड़ एवं मारपीट का केश (Case) इस घटना से दो वर्ष पूर्व किया था। स्पष्ट है कि अभियुक्त बिन्दु देवी की इस अभियोजन साक्षी संख्या 2 से शत्रुता भी स्वीकृत है। यहां उल्लेखनीय है कि प्राथमिकी के अनुसार सूचिका सुनीता देवी का झोंटा पकड़कर जमीन पर भरत ठाकुर (मृत) ने बजाड़ा था, किंतु इस साक्षी के कथनानुसार बजाड़ने का कृत्य

भरत ठाकुर, रूकमणी देवी एवं बिन्दु देवी तीनों ने किया था। मेरे विचार से साक्ष्य से विरोधाभाष एवं स्वीकृत रूप से अभियुक्तो से पूर्व की शत्रुता इस साक्षी के साक्ष्य की विश्वसनीयता को सन्देहास्पद करती है। अभियोजन साक्षी संख्या 3 सुनीता देवी (काण्ड की सूचिका एवं कथित पीड़िता) ने अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा (Examination-in-chief) में रूकमणी देवी एवं बिन्दु देवी पर यह आरोप लगाया है कि ये दोनों बाल पकड़कर खींचने लगी, जबकि यह तथ्य ना ही प्राथमिकी में दर्ज है और ना ही ऐसा कथन शेष अभियोजन साक्षियों ने अपने साक्ष्य में किया है। **इस अभियोजन साक्षी संख्या 3 सुनीता देवी ने अपने साक्ष्य की प्रति परीक्षा (Cross-examination) के दौरान पैरा 8 में कथन किया है कि भरत ठाकुर से उसकी कोई दुश्मनी नही है। भरत ठाकुर ने उसे चमैन आदि लगाकर गाली दिया था, इस बात का उसे दुख है। पैरा 9 में उसने स्वीकार किया है कि अभियुक्त बिन्दु देवी ने उसपर, जो केस किया था, वह समाप्त हो गया है।** पैरा 16 में कथन किया है कि इस घटना से पहले भी अभियुक्तो से विवाद हुआ था। पहले भी अभियुक्तो ने उसे गाली दी थी, किन्तु उसका कोई केस (Case) दर्ज नही करवाया था। **पैरा 17 में कथन किया है कि अभियुक्त बिन्दु देवी के केस (Case) से पूर्व उसने बिन्दु देवी पर कोई केस (Case) नही किया था।** अतः स्पष्ट है कि यह केस (Case) अभियुक्त बिन्दु देवी के केस (Case) के बाद दर्ज करवाया गया है। अभियोजन साक्षी संख्या 4 राम वृक्ष रविदास ने अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि सुनीता देवी उसकी बेटी है। इस साक्षी के साक्ष्य के अनुसार झगड़ा चापाकल से पहले पानी को भरने के कारण से प्रारंभ हुआ। **इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में यह नही कहा है कि अभियुक्तों ने उसकी पुत्री सुनीता देवी (सूचिका) को गाली दी थी।** अतः मेरे विचार से उपरोक्त सभी तथ्यों से स्पष्ट है कि इस मामले के अभियुक्त बिन्दू देवी से अभियोजन साक्षी संख्या 1 एवं 2 से अभियुक्त की स्वीकृत रूप से शत्रुता है तथा अभियोजन साक्षी संख्या 3, जो स्वयं सूचिका है तथा अभियोजन साक्षी संख्या 4 सूचिका का पिता है। स्पष्ट है कि मामले में स्वतंत्र साक्षी के साक्ष्य का अभाव है। **अनुसंधानकर्ता, जो अभियोजन साक्षी संख्या 5 है, अपने साक्ष्य के पैरा 10 मे कहा है कि उसने एक ही दिन में सभी साक्षियों का बयान लिया था, किसी स्वतंत्र साक्षी का बयान नही लिया था।** अभियुक्तो की ओर से अपने बचाव में दो बचाव साक्षी का साक्ष्य करवाया गया है। इन दोनों बचाव साक्षियों (Defence witnesses) ने अपने–अपने साक्ष्य में कथन किया है कि ऐसी कोई घटना नही घ टी थी। भूमि विवाद के कारण यह काण्ड झूठे तथ्यों पर अस्तित्व में लाया गया है। **मामले में सिर्फ दो महिला अभियुक्तो का विचारण हो रहा है। दोनों महिला अभियुक्त परस्पर पुत्री एवं मां है। मामला कथित रूप से पानी को चापाकल से पानी भरने को लेकर**

जन्मा है। पूर्व दुश्मनी स्वीकृत है। मामले में कोई स्वतंत्र साक्षी का साक्ष्य नही हुआ है। अनुसंधानकर्ता ने भी स्वीकार किया है कि उसने मामले में किसी स्वतंत्र साक्षी का बयान दर्ज नही किया था। दोनों बचाव साक्षियों के साक्ष्य के अनुसार ऐसी कोई घटना नही घटी है। भूमि विवाद के कारण अभियुक्तो को झूठा फंसाया गया है। **अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य में महत्वपूर्ण तथ्यों में विरोधाभाष है तथा अभियोजन साक्षियों से भी पूर्व दुश्मनी स्वीकृत है।** अतः मेरे विचार से अभियोजन पक्ष उपरोक्त नामित अभियुक्त रूकमणी देवी एवं बिन्दु कुमारी उर्फ बिन्दु देवी के विरूद्ध इस मामले में लगे आरोप भा0द0वि0 की धारा भा0द0वि 323 एवं 341 दोनों सपठित धारा 34 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम की धारा 3(i)(r), 3(1)(s) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के करने के अभियोग को सभी युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। अतः

आदेश

उपरोक्त तर्क एवं विवेचनाओं तथा अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगण **रूकमणि देवी एवं बिंदु कुमारी उर्फ बिंदु देवी** को उनके विरूद्ध लगे भा0द0वि0 की धारा भा0द0वि 323 एवं 341 दोनों सपठित धारा 34 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम की धारा 3(i)(r), 3(1)(s) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के करने के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है तथा उन्हें एवं उनके जमानतदारों को बंधपत्र के दायित्व से भी मुक्त किया जाता है।

मेरे द्वारा उद्घोषित लेखापित एवं शुद्धित

सत्यनारायण शिवहरे	सत्यनारायण शिवहरे
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम–सह	अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम–सह
विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं	विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं
जनजाति, जमुई।	जनजाति, जमुई।
दिनांक–23.06.2026	दिनांक–23.06.2026